RNI Regn. No. : UPHIN/2004/13685

पत्रिका

कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन उत्तर प्रदेश

(रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र संख्या : 819/1987–88)

वाटर वर्क्स रोड, ऐशबाग, लखनऊ – 226 004

फोन : 0522–2242486 मोबाइल : 9415418566, 9335019355 फैक्स : 0522–2242486

E-mail : coldstorage@fcaoi.org Website : http://www.fcaoi.org

श्री जी.एस. धीरानी, सेक्रेट्री जनरल : 9839013400, 9335519355

मूल्य : 1/– रु0 31 मार्च, 2017 मासिक पत्रिका : अध्यक्ष : श्री महेन्द्र स्वरूप, ऐशबाग, लखनऊ। सचिव : श्री वीरेन्द्र सिंह, मोहित अग्रवाल वर्ष : 13, अंक : 10

संगठन ही शक्ति है

बन्धुवर,

इस समय भण्डारण सत्र करीब करीब समाप्त हो चुका है। पूरे प्रदेश से शीतगृह पूरी तरह से भर जाने के समाचार आ रहे हैं और यह आशा की जा रही है कि अधिकांश क्षेत्रों में 10 से 15 प्रतिशत तक आलू बाहर रह जायेगा।

यह भी नही है कि प्रदेश में सभी शीतगृह पूरी तरह से भर गए है, अभी भी बहराइच, अमेठी, गाजीपुर आदि कई जगह ऐसी है जहाँ पर शीतगृहों में 10–25 प्रतिशत तक की जगह बाकी है। यह बात और है कि वहाँ लोडिंग चल रही है। सही आंकड़े 15 अप्रैल के बाद ही आ पायेंगे। वैसे संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि इस वर्ष भण्डारण भरपूर हुआ है। हम यह जानकारी तो नहीं रखते कि किस शीतगृह में ओवरलोडिंग हुई लेकिन यह जानकारी अवश्य आई है कि कुछ शीतगृहों ने ओवरलोडिंग की है।

हमारी सलाह है कि ओवरलोडिंग बिलकुल न करें और यदि कर ली है तो उसे अगले 15–20 दिन के अन्दर खाली करने की कोशिश करें अन्यथा लोड माल खराब होने के चाँस बन जाते हैं।

→

आलू के कमरे लोड करने के बाद शीतगृहस्वामियों की सुचारू रूप से शीतगृह चलाने की जिम्मेदारी बन जाती है। उन्हें चाहिए कि वह देखें कि शीतगृह कक्षों का तापमान शीघ्र–अति–शीघ्र 32 से 34 डिग्री फारेनहाइट आ जाए। यदि ऐसा नहीं होता है तो तुरन्त तापमान न गिरने के कारणों का पता लगाए। जैसे –

1. क्या कम्प्रेसर सही चल रहे? :

यदि नहीं, तो चेक करें कि आपने सही क्षमता का कम्प्रेसर ही काम पर लगाया है या छोटी क्षमता का लगा दिया है। जिस कम्पनी से आपने कम्प्रेसर खरीदा है उस कम्पनी से अवश्य बात करें। कम्प्रेसर की क्षमता आपके System में कम आमोनियाँ रहने से भी हो जाती है। कम्प्रेसर की क्षमता का असर सही बिजली की मोटर न लगे होने से और सही कम्प्रेसर या मोटर पूरी न होने से भी बदल जाती है। इसे अवश्य चेक करें।

2. प्लाट में पूरी आमोनियाँ है या नहीं? :

प्लांट में आमोनियाँ की कमी रहने पर कम्प्रेसर तो पूरी तरह चलते रहेंगे लेकिन Coil या Unit पर सही तरीके से बर्फ नहीं आयेगी और कमरे गर्म रहेंगे। आमोनिया प्लांट में पूरी तरह चार्ज हो जाने के बाद आप के रिसीवर का एक चौथाई भाग भरा होना चाहिए।

3. हवा घुमाने वाले System से कमरे में पूरी हवा चल रही है या नहीं? :

बंकर क्वायल पर लगे हुए पंखे या यूनिट के ऊपर लगे हुए पंखे सही चल रहे या नहीं यह चेक करना बहुत जरूरी है। यह सही चलने पर ही कमरों में सही ठण्डी हवा चालू होती है। यदि गैलरी सही खुली है और बोरे दीवार से सटाकर नहीं लगाए गए हैं तो कमरों में हवा सही चल रही होती है।

4. कही कोई दरवाजा या खिड़की खुली तो नहीं रह जाती है? :

कई शीतगृहों में यह देखा गया है कि सब कुछ ठीक होने के बाद भी कक्षों का तापमान गिरा हुआ नहीं मिलता है। उनके यहाँ कर्मचारी प्रायः शीतगृह कक्ष के दरवाजे या छत पर लगी खिड़की बन्द करना भूल जाते हैं। कई जगहों पर यह भी देखा गया है कि शीतगृह के कर्मचारी स्वयं ठण्डक से बचने के लिए कक्ष के दरवाजे खोलकर उनके आगे कुर्सी डाल कर बैठ जाते हैं। उन्हें यह ज्ञान नहीं होता कि ऐसा करने से शीतगृह कक्षों में तापमान नहीं गिरेंगे। ऐसी बातों को होने से रोकें।

5. छत या दिवाल से सर्दी तो तेजी से नहीं निकल रही है? :

कितने ही शीतगृहों में छत का इन्सुलेशन सही नहीं लगा होता और छत से ठण्डी हवा तेजी से बाहर निकल जाती है। छत के किनारों से तो लीक होना काफी पाया जा रहा है। इसे चेक करें और रोकने का प्रबन्ध करें। छत पर सही इन्सुलेशन का होना बहुत जरूरी होता है।

→

इस समय की सावधानी बहुत जरूरी होती है अन्यथा आपके शीतगृह कक्षों में बहुत जल्दी अंकुरण शुरू हो जायेगा और भण्डारित आलू खराब होने लगेगा। गर्म आलू को भण्डारित करने से बचें। यह जरूर ध्यान रखे की आलू की छल्ली दीवार से सटी हुई तो नहीं है। इसे कम से कम 9 इंच दूर रखें। गैलरी खुली वा साफ हो।

हम अपने सदस्यों को शीतगृह में आने वाली दुर्घटनाओं के बारे में सचेत करते रहते हैं और उनसे बचने के उपाय भी बताते रहते है। हमें खुशी है कि ज्यादातर सदस्य हमारी बात मानते हैं। बहुत से शीतगृहस्वामी हमारे सदस्य नहीं हैं, उन तक हमारी बात नहीं पहुँच पा रही है और हमें जो समाचार मिल रहे हैं उनमें अधिकांश शीतगृह वह हैं जो हमारे सदस्य नहीं हैं और वहाँ दुर्घटनाएँ हो रही है। हम बराबर जोर देते आ रहे है कि हर शीतगृह को आग का बीमा अवश्य करा लेना चाहिए। जिन्होंने अभी तक नहीं कराया है, वह अवश्य करा लें। सरकार कड़ाई से नियमों का पालन करायेगी और ऐसा न करने वालों को दण्ड दिया जायेगा।

अग्निशमन के यथोचित उपकरण लगाए। हो सके तो कुछ अधिक ही उपकरण लगाए, इसमें कंजूसी बिलकुल न करें। अपने यहाँ के स्टाफ को भी ट्रेन करें। इसी प्रकार आमोनियाँ से होने वाली दुर्घटना से बचाव का पूरा प्रबन्ध करें। शीतगृह बिल्डिंग की पूरी तरह से मजबूती पर स्वयं तो ध्यान दें ही साथ ही किसी (qualified) क्वॉलिफाइड इंजीनियर की मदद अवश्य लें। स्वयं इंजीनियर बनने की या ठेकेदारों के भरोसे रहने की आदत छोड़े। शीतगृहों में हजारों टन माल भण्डारित होता है। इसमें बहुत सावधानी की आवश्यकता होती है।

हम यहाँ पर प्राविडेन्ट फंड के बारे में थोड़ा प्रकाश अलग से भी डाल रहे हैं परन्तु फिर भी हम यहाँ चेता देना चाहते है कि सरकार प्राविडेन्ट फंड के मामले में बहुत सख्त रुख अख्तियार करने जा रही है। एक दिन कार्य किया हुआ कर्मचारी, चाहे वह ठेकेदार का ही क्यों ना हो, प्राविडेन्ट फंड का हकदार माना जायेगा।

इसी प्रकार जहाँ पर भी कर्मचारी बीमा की योजना लागू होती है वहाँ शीतगृहस्वामी अपने कर्मचारियों का बीमा अवश्य करा ले, वैसे यह Scheme शीतगृहों को भी मदद देती हैं। इससे कर्मचारी जल्दी नौकरी छोड़ने को तैयार नहीं होता। जितना हम अपने को नियमों में डाल लेंगे, आगे आने वाले समय में उतना ही नियम हमें मदद करेंगे।

हमने अपने पत्र संख्या 417/सी.एस.ए.27/5/2017 दिनाक 16.2.2017 में सब उपाध्यक्षों को लिखा था कि वह अपने–अपने क्षेत्रो में जनपद स्तरीय मीटिंग का आयोजन करे जिसमें कुछ उपाध्यक्षों ने कार्य किया भी है, जैसे श्री सुभाष चन्द्र अग्रवाल, उपाध्यक्ष, बरेली जोन ने 3 फरवरी, 2017 को एक मीटिंग आयोजित की जिसमें 53 में से 31 शीतगृहस्वामी एकत्रित हुए। यहाँ पर एक काव्य गोष्ठी का भी आयोजन किया गया। यह बहुत ही सराहनीय कार्य है। हम यहाँ पर उस मीटिंग का एक चित्र भी प्रस्तुत कर रहे हैं।

→

अन्य जनपद जैसे बहराइच और कानपुर ने भी अच्छा कार्य किया है। आगरा, अलीगढ़, गाजीपुर, आदि क्षेत्र भी काफी सक्रिय रह रहे हैं।

श्री हँसमुख जैन गाँधी का दिगम्बर जैन सोशल ग्रुप का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना :

श्री हँसमुख जैन गाँधी को जैन दिगम्बर सोशल ग्रुप समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर बहुत–बहुत बधाई।

श्री हँसमुख जैन गाँधी, मध्य प्रदेश कोल्ड चेन इण्डस्ट्री एसोसिएशन के अध्यक्ष है वा फेडरेशन ऑफ कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन्स ऑफ इण्डिया के कोषाध्यक्ष एण्ड डायरेक्टर इंचार्ज एण्ड फाइनेन्स कंट्रोलर भी हैं।

(4) – पत्रिका कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन उत्तर प्रदेश, मार्च, 2017

ग्रुपों के साथ समाज विकास का संकल्प हँसमुख गाँधी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की शपथ ग्रहण की :

तीन सौ से अधिक दिगम्बर जैन सोशल ग्रुप के साथ पैतीस हजार परिवार व एक लाख समाजजनों की प्रतिनिधि संस्था दिगम्बर जैन सोशल ग्रुप की प्रतिनिधि संस्था दिगम्बर जैन सोशल ग्रुप फेडरेशन का शपथ विधि समारोह 5 मार्च 2017 को इन्दौर के रवीन्द्र नाट्य गृह में अत्यंत हर्षमय वातावरण व भव्यता के साथ सम्पन्न हुआ।

पीठाधीश स्वस्तिश्री कर्मयोगी रवीन्द्रकीर्ति स्वामीजी (हस्तिनापुर), श्री सुरेन्द्र डी. हेगड़े (धर्मस्थल), अतिरिक्त पुलिस महादिनेशक श्री पवन जैन (आईपीएस), न्यायमूर्ति श्री जे.के.जैन (इन्दौर), श्री अशोक सेठी (बैंगलोर), श्री प्रदीप जैन (पीएनसी) आगरा के आतिथ्य में फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोनित किए गए। वरिष्ठ समाजसेवी श्री हँसमुख गाधी (इन्दौर) ने अनेक पदाधिकारियों के साथ शपथ ग्रहण की। शपथ विधि अधिकारी फेडरेशन के संस्थापक अध्यक्ष श्री प्रदीप कुमार सिंह कासलीवाल थे।

विमुद्रीकरण के बारे में :

विमुद्रीकरण हो जाने के बाद सरकार ने लघु उद्योगों के लिये विशेष सुविधाओं की घोषणा की हुई है। इस सम्बन्ध में सरकार का यह पत्र हम प्रकाशित कर रहे है जो कि हमें एम.एस.एम.ई. MSME द्वारा प्राप्त हुआ है। इसमें संदर्भित रिजर्व बैंक Reserve Bank के मार्ग निर्देश के लिए जारी पत्र भी हमें प्राप्त हुए है। क्योंकि सरकार के पत्र हमें अंग्रेजी में प्राप्त हुए हैं उन्हें हम हिन्दी में प्रकाशित करने में असमर्थ हैं। वैसे भी यह पत्र उत्तर प्रदेश के बाहर शीतगृहस्वामियों के लिए भी लाभप्रद होंगे।

Dear Sir,

It gives me pleasure to inform about the important steps taken by the Government of India for MSME sector especially in view of demonetization:

1. After withdrawal of the legal tender status of Rs. 500 & Rs.1 000 notes (Specified Bank Notes), RBI vide its circular dated 21.11.2016 (copy enclosed) has decided to provide an additional 60 days beyond what is applicable for the concerned regulated entity for recognition of a loan account as substandard in mentioned categories of loans. Further, on a review, RBI vide its circular dated 28.12.2016 (copy enclosed) has decided to provide 30 days in addition to the 60 days provided vide above mentioned circular dated 21.11.2016 in the same categories of loan. The details are given in the enclosed RBI circulars. →

2. In addition to above, RBI vide its circular dated 29.12.2016 has advised banks to tune their existing policy to provide for fixing of a separate additional working limit at the time of sanction / renewal of WC limits specially for meeting the temporary rise in WC requirement arising mainly due to unforeseen / seasonal increase in demand for products produced by them. Subsequently, Department of Financial Services (DFS), Ministry of Finance, Govt. of India vide its advisory / letter dated 30.12.2016 (copy enclosed) has also emphasized that in many cases working capital limit for MSME units are being capped at 20% of estimated annual turnover whereas the recommendations of the Committee on the guidelines of RBI were to treat 20% as the minimum.

3. It is also informed that Hon'ble Prime Minister in his speech to the nation on 30.12.2016 has also made the following announcements :

Government of India underwrites loans given by banks to small businesses through a trust. So far, loans were covered up to one crore rupees. This limit is now being enhanced to Rs. 2 crores. Earlier the scheme only covered bank loans. Hereafter it will cover loans given by NBFCs (Non Banking Financial Companies) as well. This decision will enable better access to credit for small shop owners and small enterprises. Banks and NBFCs will not levy high interest on these loans, as Government of India is bearing the cost of underwriting them.

Government has also asked banks to raise the credit limited for small industry from 20% turnover to 25%. Banks have also been asked to increase working capital loans from 20% of turnover to 30% for enterprises that transact digitally. Many people connected with this sector have made cash deposits in the last few weeks. Banks have been asked to take this into account when deciding on working capital.

It is reauested that a wide publicity of above provisions for MSMF sector, may be given amongst your member units.

Encl : (i) RBI Circular No. DBR No. BP.BC.37/21.04.048/2016-17 dated 21.11.16

(ii) RBI Circular No. DBR No. BP.BC.49/21.04.048/2016-17 dated 28.12.16

(iii) DFS letter No. 2/9/2016-IF.II dated 30.12.2016

(iv) DFS DO No. 10/02/2016-IF.II dated 21.12.2016

Sincere regards,

U.C. Shukla

Director

RBI/2016-17/143

DBR. No. BP.BC. 37/21.04.048/2016-17 November 21,2016

All Entities Regulated by the Reserve Bank of India

Madam / Dear Sir,

Prudential Norms on Income Recognition, Asset Classification and Provisioning pertaining to Advances

It has been represented to us that consequent upon withdrawal of the legal tender status of the existing ₹ 500 and ₹ 1,000 notes (SBN) small borrowers may need some more time to repay their loan dues. Taking these representations into consideration, it has been decided to provide an additional 60 days beyond what is applicable for the concerned regulated entity (RE) for recognition of a loan account as substandard in the following cases :

(i) Running working capital accounts (OD/CC)/crop loans, with any bank, the sanctioned limit whereof is ₹ 1 crore or less;

(ii) Term loans, whether business or personal, secured or otherwise, the original sanctioned amount whereof is ₹ 1 crore or less; on the books of any bank or any NBFC, including NBFC (MFI). Tris shall include housing loans and agriculture loans.

Note : The limits at (i) and (ii) above are mutually exclusive limits applicable to respective category of loans.

(iii) Loans sanctioned by banks to NBFC (MFI), NBFCs, Housing Finance Companies, and PACs and by State Cooperative Banks to DCCBs.

(iv) The above guidelines will also be applicable tol loans extended by DCCBs.

2. The above dispensation will be subject to following conditions:

(i) It applies to dues payable between November 1, 2016 and December 31, 2016. REs shall note to ensure that this is a short-term deferment of classification as substandard due to delay in payment of dues arising during the period specified above and does not result in restructuring of the loans.

(ii) Dues payable before November 1 and after December 31, 2016, will be covered by the extant instruction for the respective regulated entity with regard to recognition of NPAs.

→

(iii) The additional time given shall only apply to defer the classification of an existing standard asset as substandard and not for delaying the migration of an account across sub-categories of NPA.

3. All REs, including DCCBs, are advised to be guided by the above instructions.

Yours faithfully,

(S S. Barik)

Chief General Manager in Charge

RBI/2016-17/198

DBR. No. BP.BC. 49/21.04.048/2016-17 December 28, 2016

All Regulated Entities

Madam / Dear Sir,

Prudential Norms on Income Recognition, Asset Classification and Provisioning pertaining to Advances

Please refer to circular DBR. No. BP.BC. 37/21.04.048/2016-17 dated November 21, 2016.

2. On a review, it has been decided to :

(i) Provide 30 days, in addition to the 60 days provided vide the above mentioned circular, in the following categories of loans :

(a) Running working capital accounts (OD/CC)/crop loans, with any bank, the sanctioned limit whereof is ₹ 1 crore or less;

(b) Term loans for business purposes, secured or otherwise, the original sanctioned amount whereof is ₹ 1 crore or less, on the books of any bank or any NBFC, including NBFC (MFI). This shall include agriculture loans.

Note : The limits at (a) and (b) above are mutually exclusive limits applicable to respective category of loans.

The above dispensation will apply to dues payable between November 1, 2016 and December 31, 2016

(ii) Permit all REs to defer the down grade of an account that was standard as on November 1, 2016, but would have become NPA for any reason during the period November 1, 2016 to December 31, 2016, by 90 days from the date of such downgrade in the following categories of accounts: →

(a) Running working capital accounts (OD/CC)/crop loans, with any bank, the sanctioned limit whereof is ₹ 1 crore or less;

(b) Term loans for business purposes, secured or otherwise, the original sanctioned amount whereof is ₹ 1 crore or less, on the books of any bank or any NBFC, Including NBFC (MFI). This shall include agriculture loans.

Note : The limits at (a) and (b) above are mutually exclusive limits applicable to respective category of loans.

3. The additional time given in para 2 shall only apply to defer the classification of an existing standard asset as substandard and not for delaying the migration of an account across sub-categories of NPA.

4. Dues payable after January 1, 2017 will be covered by the extant instructions for the respective REs.

Yours faithfully,

(S.S. Barik)

Chief General Manager-in-Charge

F No. 2/9/2016-IF-II
Government of India
Ministry of Finance
Department of Financial Services

3rd Floor Jeevan Deep Building,
Parliament Street, New Delhi

Dated the 30th December 2016

To,

The Managing Director & Chief Executive Officers All Public Sector Banks

Subject : Advisory - Working Capital/Cash Credit limit for MSEs

Dear Sir/Madam,

Consequent to the Nayak Committee Report on adequacy of institutional credit to SSI Sector (now MSE), RBI had issued a circular RPCD PLNFS/BC. No. 61/06.0262/2000-01,

dated 02 March, 2001 advising implementation of the Nayak Committee recommendations which, inter-alia, included grant of working capital credit limits to SSI (now MSE) units computed on the basis of minimum 20% of their estimated annual turnover whose credit limit in individual cases is upto Rs. 2 crore (since raised to Rs. 5 crore) This circular continues to be a valid direction under the Master Direction for lending to MSME sector issued by RBI on 21 July, 2016. Further, vide circular FIDD MSME&NFS.BC.No. 60/06.02.31/2015-16 dated 27 August, 2015, RBI had advised banks to tune their existing policy to provide for fixing of a separate additional working limit at the time of sanction/renewal of WC limits specifically for meeting the temporary rise in WC requirement arising mainly due to unforeseen/seasonal increase in demand for products produced by them. Banks may also sanction ad-hoc limits subject to the extant prudential norms to be regulansed not later than 3 months from the date of sanction RBI had further advised that banks may carry out a mid-year review of WC limits based on their assessment of safes performance of the MSE since the last review without waiting for audited financial statements. Such mid-year reviews shall be re-validated during the subsequent regular review based on audited financial statements.

2. It has been noted that in many cases working capital limit for MSMEs units are being capped at 20% of estimated annual turnover whereas the recommendations of the Committee on the guidelines of RBI were to treat 20% as the minimum. As MSMEs make the transition from a cash baised mode of transactions to a cashless or digital mode, it is essential that their WC limits are appropriately increased to facilitate the process. Extant guidelines already provide for this.

3 In the interest of providing a impetus to the level of business activities of MSMEs and further enabling the move from cash to cashless digital transaction by MSMEs, it would be appropriate to factor in cash deposits made by MSMEs in the recent period for determining working capital limits.

Yours faithfully,

(Pankaj Jain)

Joint Secretary to the Government of India

Copy to :

Chief Executive Officer, Indian Banks Association, Mumbai

FEDERATION OF COLD STORAGE ASSOCIATIONS OF INDIA

Regd. Office : Swarup Cold Storage, Aishbagh, Lucknow (U.P.) Pin - 226004
Phone : 0522-2242486, Fax : 91-0522-2242486, Mob. : 9335019355, 9415418566
E-mail : coldstorage@fcaoi.org , Website : http://www.fcaoi.org

Regd. No. 907-2001/2

Mahendra Swarup - President, **Ashish Guru,** Senior Vice President, **Patit Paban De** - Vice President (North), **Mukesh Kr. Aggarwal** - Vice President (Delhi) and Co-ordinator Government Affairs, **Hansmukh Jain Gandhi** - Treasurer and Dir. Incharge and Finance Controller, **S.N. Ashraf** - Jt. Secy. and Dir. Coordination, **Ujjal Singh Bajwa** - Director Information & Revenue, **Rajesh Goyal** - Hony. Secretary, **Gubba Nagender Rao** - Coordinator (South), **Rakesh Garg** - Co-ordinator, Government and International Affairs

TOGETHER WE PROGRESS

गुजरात :

श्री आशीष गुरू, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, फेडरेशन ऑफ कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन्स ऑफ इण्डिया व अध्यक्ष, गुजरात कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन ने हमें सूचित किया है कि ऐसी आशा की जा रही है कि गुजरात में 10 से 20 प्रतिशत शीतगृह क्षमता खाली रह जायेगी इसका एक कारण भण्डारण क्षमता का इस वर्ष बढ़ जाना है वा दूसरा कारण आलू का कम उत्पादन होना भी है। वैसे अभी यह अतिम आंकलन नहीं है, सही बात का पता तो 15 अप्रैल के बाद ही लगेगा।

तेलंगाना :

श्री गुब्बा नगेन्द्र राव जी, सदस्य, फेडरेशन ऑफ कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन्स ऑफ इण्डिया व अध्यक्ष, चेम्बर ऑफ कोल्ड स्टोरेज इन्डस्ट्री, तेलंगाना ने हमें सूचित किया है कि तेलंगाना के शीतगृह भी पूरी तरह भर गए हैं। इस वर्ष हर तरह के कृषि उत्पाद की फसल बहुत अच्छी हैं।

मध्य प्रदेश :

श्री हँसमुख जैन गाँधी, कोषाध्यक्ष एण्ड डायरेक्टर इंचार्ज एण्ड फाइनेन्स कंट्रोलर, फेडरेशन ऑफ कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन्स ऑफ इण्डिया व अध्यक्ष मध्य प्रदेश कोल्ड चेन इन्डस्ट्री एसोसिएशन ने सूचित किया है कि इन्दौर एरिया में शीतगृह पूरी तरह भर गए हैं जबकि उज्जैन और सहजानपुर एरिया में 10 से 20 प्रतिशत क्षमता खाली रहने की उम्मीद की जा रही है।

पश्चिम बंगाल, हरियाणा व पंजाब :

तीनों प्रदेशों के समाचार लेने पर ज्ञात हुआ है कि प्रायः सभी शीतगृह पूरी तरह भर गए हैं, हो सकता इक्का–दुक्का शीतगृह स्थानीय कारणों की वजह से खाली रह गए हों। आलू के रेट सभी प्रदेशों में सामान्य तौर से एक ही हैं, जो कि ढ़ाई सौ से चार सौ रूपए कुन्तल के बीच में चलते रहे हैं। जैसी क्वालिटी वैसा रेट भी चला है।

प्रोविडेन्ट फंड के सम्बन्ध में :

21 मार्च, 2017 को लखनऊ में Additional Provident Fund Commissioner, ने एक मीटिंग कोल्ड स्टोरेज स्वामियों के साथ की थी जिसमें इस बात पर जोर दिया गया कि शीतगृहस्वामी अपने को पूरी तरह से Provident Fund के दायरे में रखें।

कटियार कोल्ड स्टोरेज, कानपुर के गिर जाने से पाँच व्यक्तियों की मौत हो गई। इसमें जाँच द्वारा यह पता लगा की शीतगृहों में काफी बड़ी सख्या में पल्लेदार काम करते हैं और इस तरह से उनके कर्मचारियों की संख्या 20 से ऊपर हो जाती है और वह Provident Fund के दायरे में आ जाते हैं।

पहले तो उन्होंने शीतगृहों से नई Amnesty Scheme में आने को कहा जो कि 31/3/2017 को समाप्त हो रही है। इस सम्बन्ध में हम एक पत्र ई–मेल द्वारा अपने सभी सदस्यों को भेज चुके हैं। इसी तरह का पत्र हमने ESI के सम्बन्ध में भी दिया है।

हम यह चाहते हैं कि सभी शीतगृह अपने कानूनी सलाहकारों से सम्पर्क करके नियमानुसार काम करें। यदि विभाग से सम्पर्क करना हो तो उनके ई–मेल पते इस प्रकार है।

1.	Regional Office, Kanpur	ro.kanpur@epfindia.gov.in
2.	Regional Office, Allahabad	sro.allahabad@epfindia.gov.in
3.	Regional Office, Bareilly	sro.bareilly@epfindia.gov.in
4.	Regional Office, Gorakhpur	sro.gorakhpur@epfindia.gov.in
5.	Regional Office, Lucknow	sro.lucknow@epfindia.gov.in
6.	Regional Office, Varanasi	sro.varanasi@epfindia.gov.in
7.	Regional Office, Meerut	ro.meerut@epfindia.gov.in
8.	Regional Office, Agra	sro.agra@epfindia.gov.in
9.	Regional Office, Noida	sro.noida@epfindia.gov.in

सेवा में,

Postal Registration No. : SSP/LW/NP-65/2017-2019

.....

.....

प्रकाशक, मुद्रक, सम्पादक एवं स्वामी महेन्द्र स्वरूप, कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश,
स्वरूप कोल्ड स्टोरेज, वाटर वर्क्स रोड, ऐशबाग, लखनऊ से प्रकाशित एवं
रोहिताश्व प्रिण्टर्स, ऐशबाग रोड, लखनऊ द्वारा मुद्रित